प्रेषक,

राज्य कार्यक्रम प्रबंधक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल काम्प्लैक्स,
19.ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद– कानपुर देहात, उ0प्र0।

पत्र संख्याः–एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./सपोर्टिव सुपरविजन/2019–20/ 10454 दिनांकः 19-03-2020

विषयः– राज्य स्तरीय टीम द्वार दिनांक 27–28 फरवरी, 2020 के मध्य सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान चिन्हित गैप्स/समस्याओं/के निराकरण एवं सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 27–28 फरवरी, 2020 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। उक्त टीम द्वारा आपसे प्रतिपुष्टि साझा की जा चुकी है तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित समस्याओं से सक्षम अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में पायी गयी कमियों में सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की अनुमोदित भ्रमण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
19/03/2020
(डा0 अशोक कुमार पालीवाल)
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक

पत्र संख्याः–एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./सपोर्टिव सुपरविजन/2019–20/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपि –

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर को सूचनार्थ।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जनपद–कानपुर देहात को सूचनार्थ।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 उ0प्र0, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/ मण्डलीय अर्बन हेल्थ कन्सलटेंट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कानपुर देहात को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sudha
(सुधा यादव)
महाप्रबंधक, मानव संसाधन

Scanned with CamScanner

जनपद कानपुर देहात की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या

भ्रमणकर्ता अधिकारी :–श्री महेन्द्र प्रताप यादव, उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.–एन.एच.एम., लखनऊ।
श्री विनीत सिंह, परामर्शदाता, एस.पी.एम.यू.–एन.एच.एम., लखनऊ।

भ्रमण दिनांक :– 27–28 फरवरी 2020

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– सिकन्दरा

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही	उत्तरदायित्व
• स्वास्थ्य केन्द्र मे ए0एन0सी0 व प्रसव रजिस्टर मे प्रविष्टियां अद्यतन नहीं की गयी थी।	• ए0एन0सी0 व प्रसव रजिस्टर अद्यतन रखने को कहा गया।	• चिकित्साधीक्षक
• रेफरल रजिस्टर, एच0आर0पी0 रजिस्टर व उपकरण स्ट्रलाईजेशन रिकार्ड भी नही बनाये जा रहे थे।	• रेफरल रजिस्टर, एच0आर0पी0 रजिस्टर व उपकरण स्ट्रलाईजेशन रिकार्ड तत्काल बनाने व अद्यतन रखने को कहा गया।	• चिकित्साधीक्षक
• 102 व 108 एम्ब्यूलेंस संबंधी रजिस्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध नही था।	• 102 व 108 एम्बयूलेस संबंधी रजिस्टर बनाने एवं रजिस्टर को अद्यतन किये जाने की जिम्मेदारी तय करने का सुझाव दिया गया।	• चिकित्साधीक्षक
• एम्बूलेंस के कर्मचारियों द्वारा DBR/PCR की प्रति चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी।	• DBR/PCR की एक प्रति अनिवार्य रूप से चिकित्सालय को उपलब्ध कराने हेतु एम्बूलेंस कर्मचारियों एवं प्रति प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफ को निर्देशित किया गया।	• चिकित्साधीक्षक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• स्वास्थ्य केन्द्र मे हीमोग्लोबिन की जांच कार्ड विधि से की जा रही थी। लगभग सभी गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन 9.5 से 11.00 के मध्य दर्शाया जा रहा था जो कि सही नही प्रतीत होता है।	• हीमोग्लोबिन की जांच स्लाइड विधि से ही करने का सुझाव दिया गया। चिकित्सा अधीक्षक एवं सम्बन्धित चिकित्सकों को रोगियों की प्रेषित की जा रही हीमोग्लोबिन रिपोर्ट की समय–समय पर समीक्षा करने का सुझाव दिया गया।	• मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्साधीक्षक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• लैब मे एक माइक्रोस्कोप खराब था।	• माइक्रोस्कोप की शिकायत सेवा प्रदाता सायरिक्स के टोल फ्री न0 पर करने को कहा गया एवं समस्या का निराकरण न हो पाने की दशा में जनपद स्तरीय अधिकारियों को सूचित करने का सुझाव दिया गया।	• चिकित्साधीक्षक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गत वर्ष के 241 लाभर्थियों की भुगतान हेतु धनराशि कमिट करायी गयी थी, वित्तीय वर्ष में 10 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी केवल 82 लाभार्थियो का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 मे अब तक 1258 के सापेक्ष 1023 लाभार्थियो को भुगतान किया गया है।	• जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कमिटेड एवं रेगुलर धनराशि के सापेक्ष शेष भुगतान यथाशीघ्र कराने का सुझाव दिया गया।	• चिकित्साधीक्षक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• स्वास्थ्य केन्द्र पर आई0ई0सी0 सामग्री की उपलब्धता मानकानुसार नहीं पायी गयी।	• राज्य स्तर से प्रेषित दिशानिर्देशो के अनुसार आई0ई0सी0 की उपलब्धता / प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।	• चिकित्साधीक्षक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• स्वास्थ्य केन्द्र मे टेली मेडिसिन सुविधा	चिकित्सा अधीक्षक एवं अन्य चिकित्सकों द्वारा टेलीमेडिसिन सुविधा हेतु रोगियों को	

Scanned with CamScanner

शुरू की गयी है। इसके अन्तर्गत अब तक 1310 परामर्श दिए गये है।	सन्दर्भित किया जा रहा है साथ ही आवश्यकतानुसार उपचार हेतु द्वितीय मत प्राप्त किया जाता है।	
• स्वास्थ्य इकाई के नॉन ब्लॉक सी0एच0सी0 होने के कारण आर0सी0एच0 पोर्टल पर डाटा इन्ट्री हेतु आई0डी0 उपलब्ध नहीं है। आर0सी0एच0 पोर्टल पर डाटा इन्ट्री हेतु स्वास्थ्य इकाई ब्लॉक पी0एच0सी0 राजपुर पर निर्भर है। • स्वास्थ्य इकाई से सी0आर0एस0 पोर्टल के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।	स्वास्थ्य इकाई को आर0सी0एच0 पोर्टल की आई0डी0 उपलब्ध कराकर यथा सम्भव डाटा इन्ट्री प्रारम्भ करने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्साधीक्षक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक

जिला महिला चिकित्सालय, माती–

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही	उत्तरदायित्व
• चिकित्सालय में 12 शैया का SNCU कियाशील है। इकाई में 03 वार्मर उपकरणों में ओवर हीट होने की समस्या थी। 1 इंफ्यूजन पंप व 3 पल्स आक्सीमीटर की बैटरी भी खराब थी।	• सेवा प्रदाता सायरिक्स के टोल फ्री न0 पर करने को कहा गया एवं समस्या का निराकरण न हो पाने की दशा में जनपद स्तरीय अधिकारियों को सूचित करने का सुझाव दिया गया।	• चिकित्साधीक्षक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• चिकित्सालय मे ब्रेन पावर ऐजेन्सी के माध्यम से कार्यरत सर्पोट स्टाफ का मानदेय माह अक्टूबर 2019 के बाद से नही मिला था जबकि माह दिसंबर तक का मानदेय ऐजेन्सी को दिया जा चुका था।माह जनवरी 2020 का बिल ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत ही नही किया गया था।	• ऐजेन्सी के माध्यम से कार्यरत सर्पोट स्टाफ के मानदेय का ससमय भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया गया।	• मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• कंगारू मदर केयर कक्ष मे प्रदर्शित सभी आई0ई0सी0 सामग्री अंग्रेजी भाषा में थी।	• हिन्दी आई0ई0सी0 सामग्री प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।	• चिकित्साधीक्षक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• चिकित्सालय मे डाटा वैलिडेशन कमेटी का गठन नही किया गया है।	• डाटा वैलिडेशन कमेटी का तत्काल गठन करने व वैलिडेशन के उपरान्त ही रिर्पोट प्रेषित किये जाने को कहा गया।	• चिकित्साधीक्षक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गत वर्ष के 1159 लाभर्थियों की भुगतान धनराशि कमिट करायी गयी था। जिसमे से 611 लाभार्थियो को भुगतान किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019–20 मे अब तक 3585 लाभार्थियो के सापेक्ष 3182 का भुगतान किया गया है।	• जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लंबित लाभर्थियो का भुगतान शीघ्र कराने का सुझाव दिया गया।	• चिकित्साधीक्षक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक

Scanned with CamScanner

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, उप केन्द्र, गजनेर

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही	उत्तरदायित्व
• उपकेन्द्र पर वेलनेस कक्ष का निर्माण हुआ है परन्तु अभी हैण्डओवर नही किया गया है। केन्द्र के ब्राडिंग का कार्य प्रारंभ नही हुआ था।	• ब्राडिंग व हैण्ड ओवर की कार्यवाही यथाशीघ्र करने को कहा गया।	• मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• उपकेन्द्र पर एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग का लक्ष्य 2127 का है। इसके सापेक्ष अब तक 662 सीबैक फार्म भरे गये है तथा 345 की स्क्रीनिंग की गयी है। उपकेन्द्र पर सीबैक फार्म समाप्त हो जाने के कारण शेष फार्म भरने का कार्य रूका हुआ था।	• आवश्यकतानुसार सीबैक फार्म की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित कराने व स्क्रीनिंग का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कहा गया।	• मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर
• उपकेन्द्र पर मधुमेह व उच्च रक्तचाप की औषधियां उपलब्ध नही है।	• उपकेन्द्र पर मधुमेह व उच्च रक्तचाप की औषधियां उपलब्ध कराने को कहा गया।	• मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• उपकेन्द्र का विद्युत कनेक्शन गत एक वर्ष से कटा हुआ है। पानी की व्यवस्था भी नही है।	• बिजली व पानी की व्यवस्था यथाशीघ्र कराने को कहा गया।	• मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• उपकेन्द्र पर आई0ई0सी0 का प्रदर्शन दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं किया गया है।	• राज्य स्तर से प्रेषित दिशानिर्देशो के अनुसार आई0ई0सी0 का प्रदर्शन करने को कहा गया।	• जिला कार्यक्रम प्रबंधक / प्रभारी चिकित्साधिकारी

उपरोक्त सभी बिंदुओ पर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय एवं ए0सी0एम0ओ0–आर0सी0एच0 के साथ चर्चा की गयी तथा सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

विनीत सिंह
परामर्शदाता (एन0यू0एच0एम0)

महेन्द्र प्रताप यादव
उपमहाप्रबन्धक (एम0आई0एस0)

Scanned with CamScanner